BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 अगस्त 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दो हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 35-35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. दुर्गेश पुत्र मान सिंह 2. गुड़िया पत्नी वीर सिंह निवासीगण रहीम कोट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में एक 15 माह के बच्चे की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 27.06.2020 को थाना डिबाई पर मुअसं- 231/2020 धारा- 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 06.07.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 30.08.2023 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-03, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दुर्गेश व गुड़िया को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवीन कुमार राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर